

सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया



एक किमी से
ज्यादा दूरी वाले
वाले स्कूलों का
नहीं होगा
विलाय

कानपुर, गुरुवार, 31 जुलाई, 2025
वर्ष: 02, अंक: 204, पृष्ठ: 8+4

इनसाइड नगर आयुक्त की सख्ती से सुधार की बयार... Pg03

Pg 12

मालेगांव में ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी हुए बरी

17 साल बाद एनआईए कोर्ट का फैसला, धमाके में छह की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए थे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है।

एनआईए अदालत के जज ने फैसले को पढ़ते हुए कहा, 'अभियोजन पक्ष ने यह तो साबित कर दिया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि घायलों की उम्र 101 नहीं, बल्कि 95 साल थी और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई थी।'

कोर्ट ने फैसले में कहा, श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी ने घटनास्थल का कोई रूपरेखा



नहीं बनाई। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या अन्य कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की गई। इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में यूएपीए के दोनों अनुमति आदेश दोषपूर्ण हैं।

विस्फोट में हुई थी छह की मौत : 29 सितंबर 2008 को लोग रमजान का महीना व नवरात्रि के त्योहार में बिजी थे।



रात करीब 9 बजकर 35 मिनट पर मालेगांव के भीखू चौक पर बम ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ धुआं और लोगों की चीखों की आवाज सुनाई देनी लगी। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 100 अधिक लोग घायल हो गए थे। नासिक जिले का मालेगांव मुस्लिम बहुल है।

कोर्ट ने 19 अप्रैल को सुरक्षित रखा था आदेश : अदालत ने 17 साल लंबी चली सुनवाई के बाद 19 अप्रैल

को सभी सात आरोपियों के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया था। 8 मई फैसला सुनाने की तिथि तय की गई थी। सभी आरोपियों को इस दिन पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर कोर्ट ने 31 जुलाई फैसला सुनाने की तिथि तय कर दी थी।

सात आरोपी आज अदालत में होंगे पेश : इस केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन प्रमुख और शहीद आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे को सौंपी गई थी। उन्होंने कुल 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने पांच को बरी कर दिया था।

आज (गुरुवार) को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (सेवानिवृत्त), मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी पर फैसला आया है।

'मेरी जिंदगी के 17 साल बर्बाद हुए'

मुंबई की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम धमाके केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि 'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता है।' कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया है।

फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट में भावुक हो गईं और जज लाहोटी के सामने उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, 'मैंने वर्षों तक अपमान सहा, कई बार संघर्ष किया। मुझे तब कलंकित किया गया जब मैं दोषी नहीं थी। आज, भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। 'भगवा आतंकवाद' का झूठा आरोप अब झूठा साबित हो गया है।' कोर्ट से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे जीवन के 17 साल बर्बाद हो गए। ईश्वर उन्हें दंड देगा जिन्होंने भगवा को बदनाम करने की कोशिश की।'

आईआईटी कानपुर के प्रो. अजीत चतुर्वेदी बने बीएचयू के कुलपति

वाराणसी। बीएचयू के नए कुलपति की जिम्मेदारी अब प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी को मिली है। वे 1994 से लेकर 1996 तक आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी कानपुर के प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी को बीएचयू का कुलपति नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तब तक के लिए होगी।

मिलेगा लाभ

कैबिनेट की मंजूरी मिली, सूचना व प्रसारण मंत्री ने एलान किया

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मिलेगी 2000 करोड़ की वित्तीय सहायता

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 2025-26 से 2028-29 तक 4 साल की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता' की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि एनसीडीसी चार वर्षों की अवधि में खुले



बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगी। एनसीडीसी की ओर से नई परियोजनाओं की स्थापना/संयंत्रों के

विस्तार, सहकारी समितियों को ऋण देने और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने हेतु निधियों का उपयोग किया जाएगा।

डेयरी, पशुधन, चीनी व खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को मिलेगा लाभ : सरकार ने बताया है कि इस कदम से देश भर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियों के 2.9 करोड़ सदस्यों, श्रम और महिलाओं

के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा। वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रीमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। इस कदम से संगठन को ऋण देने के लिए अधिक धन जुटाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।

गौर से देखिए इस दरिंदे को जिसने मासूमियत को कुचला है

» स्कूल वैन में बच्ची के साथ अनुचित व्यवहार, परिवार की सतर्कता से खुला भेद

» गिरफ्तार हुआ आरोपित चालक, पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

» छोटी बच्ची ने दिखाई हिम्मत, मां से साझा की गुजर रही तकलीफ

व्यवहार में बदलाव महसूस किया, तो बात करने पर बच्ची फूट-फूटकर रोने लगी।

बच्ची ने बताया कि स्कूल से लौटते समय वैन चालक उसे अकेले में गलत तरीके से छूता है, जिससे उसे डर और दर्द दोनों होता है। माँ ने जब उसके शरीर पर निशान देखे तो वह दंग रह गई। बच्ची के छोटे भाई, जो उसी वैन से स्कूल जाता है, ने भी कुछ घटनाओं की पुष्टि की। इसके बाद परिवार ने तत्काल थाना रनियां में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गंभीरता से मामले को लिया और बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की जांच के घरे में स्कूल प्रबंधन भी

बच्ची की शिकायत और चिकित्सकीय जांच के आधार पर पुलिस ने वैन चालक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को देर



पुलिस हिरासत में वैन चालक

स्कूल वैन चालक की शर्मनाक हरकतों से मासूम बच्ची आहत

» रोजाना स्कूल से घर लाते वक्त करता था धिनी हरकतें

» शरीर पर मिले लाल निशान, बच्ची ने घर पहुंचकर बताई पूरी बात

» स्कूल से लौटते समय वैन चालक करता था गलत व्यवहार

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो कानपुर देखा। रनियां थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल वैन में पढ़ने वाली 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गलत व्यवहार का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल वैन चलाने वाला व्यक्ति बच्ची को घर छोड़ते समय लगातार कई दिनों से अनुचित हरकतें कर रहा था। मंगलवार को जब बच्ची की मां ने उसकी तबीयत और व्यवहार में बदलाव देखा तो उसने बातचीत में पूरी बात बताई।

बच्ची ने बताया कि वह व्यक्ति वैन के अंदर कुछ ऐसे काम करता है

जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। उसके शरीर पर गोट के निशान देखकर माता-पिता धरना गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बच्ची के छोटे भाई, जो उसी वैन से स्कूल जाता है, ने भी घटना की पुष्टि की है।

जांच में जुटी पुलिस, आरोपी पर सख्त धाराओं में केस दर्ज

बच्ची के बयान और शरीर पर मिले चोटों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना रनियां की पुलिस ने बच्ची को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा और चाइल्ड वेलफेयर अफसर को भी सूचित किया गया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है कि आरोपी व्यक्ति को बच्ची के संपर्क में कैसे रखा गया।

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देखा। रनियां थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए अनुचित व्यवहार का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पीड़िता एक निजी स्कूल में पढ़ती है और रोज वैन से स्कूल आती-जाती है। परिजनों ने बताया कि बच्ची कुछ दिनों से चुप-चुप रहने लगी थी और मंगलवार को जब उसकी मां ने उसके

रात गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही, उस निजी स्कूल के प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है जिसने ऐसे व्यक्ति को बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दी।

पुलिस अधीक्षक ने खुद मामले की निगरानी में टीम गठित की है और चाइल्ड वेलफेयर विभाग को भी सूचित कर बच्ची को

परामर्श और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आरोपी का नाम और पहचान पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन पीड़िता की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

यह घटना एक बार फिर उन अभिभावकों और स्कूलों को चेतावनी देती है जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेफिक्र रहते हैं।

मानस संगम द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर किया भव्य आयोजन

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। श्रीरामचरितमानस के अमर रचयिता, महाकवि गोसाईं तुलसीदास की जयंती के पावन अवसर पर मंगलवार को मोतीझील स्थित तुलसी उपवन में मानस संगम संस्था द्वारा एक भव्य साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम योगी ब्रजेश पाठक ने भाग लिया।

इस दौरान संगीत अर्चना, पुष्पांजलि, माल्यार्पण, काव्यांजलि एवं उद्बोधन के माध्यम से संत तुलसीदास को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने गोस्वामी

सांस्कृतिक व साहित्यिक आयोजन में उमड़ा जनसैलाब



तुलसीदास के जीवन, काव्य, दर्शन और सांस्कृतिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तुलसीदास न केवल एक

महाकवि थे, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा के प्रवक्ता भी थे। रामकथा के माध्यम से उन्होंने जनमानस को

नैतिकता, सेवा और भक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों के रूप में भाजपा बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, आचार्य पीयूष महाराज, कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे, विधायक सुरेंद्र मैथानी एवं नीलिमा कटियार उपस्थित रहे। साथ ही विजय नारायण मुकुल, वेणु रंजन भदौरिया, रघुनंदन भदौरिया, प्रदीप दीक्षित, राघव तिवारी, अभिनव त्यागी, ब्रजेश मिश्रा एवं नरेंद्र भदौरिया सहित अनेक गणमान्यजनों ने अपनी उपस्थिति से आयोजन को गौरव प्रदान किया।

यह आयोजन केवल जयंती नहीं, अपितु संस्कृति और चेतना का उत्सव है। — आयोजकों ने कहा।

नगर आयुक्त सुधीर कुमार की सख्ती से कार्यप्रणाली में सुधार की बयार

» नगर निगम मुख्यालय से लेकर जोनल कार्यालय में पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता से बदली जा रही शहर की तस्वीर

» नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए टीम लगातार कार्य कर रही है।

नगर निगम की प्रमुख उपलब्धियां

सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में खास रणनीति 110 वार्डों में से 105 में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था लागू है। GPS युक्त वाहनों की निगरानी से 95प्रति कवर सुनिश्चित किया गया है। नगर आयुक्त प्रतिदिन सुबह 6 बजे निरीक्षण कर व्यवस्था की सघन समीक्षा कर रहे हैं।

सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य-132.4 किमी सड़कों की मरम्मत पूरी की गई है। 178.6 किमी नई सड़कों के निर्माण हेतु 124.7 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित की गईं। प्राथमिकता अस्पतालों, विद्यालयों, बाजारों और धार्मिक स्थलों के पास के मार्गों को दी गई।

जनशिकायत निस्तारण में तेजी- IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में से 95प्रति का निस्तारण औसतन 72 घंटे में किया गया। CFC केंद्रों पर आई 1478 में से 1463 शिकायतें 3 कार्यदिवस में हल की गईं।

प्रमाणपत्र सेवाएं (जन्म/मृत्यु)-ऑनलाइन आवेदनों के 87ल प्रमाणपत्र 48 घंटे के भीतर जारी किए गए।

राजस्व वसूली में वृद्धि-23 से 30 जुलाई के बीच कर एवं उपयोगकर्ता शुल्क से ₹2.47 करोड़ से अधिक की वसूली की गई।

पार्कों का सौंदर्यीकरण-46 पार्कों के लिए टेंडर आमंत्रित, 16 में कार्य प्रारंभ। वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, हरियाली और लाइटिंग को प्राथमिकता।

अवैध होर्डिंग हटाने में सख्ती-6750 अवैध विज्ञापन, 790 होर्डिंग, 680 बैनर और 1 यूनीपोल हटाए गए।

पेयजल सेवाओं का विस्तार-62 सार्वजनिक स्थलों पर जल कूलर लगाए गए, जिनमें स्कूल, अस्पताल और बस अड्डे शामिल हैं।

स्ट्रीट लाइटिंग में सुधार जारी-1 माह में 2500-3000 स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त या नई लगाई गईं, 30 नए टेंडर जारी।

वृहद निविदा प्रक्रिया-पिछले 15 दिनों में 37.52 करोड़ की 47 निविदाएं आमंत्रित की गईं, जिनमें सड़क, नाली, जलापूर्ति, सौंदर्यीकरण आदि शामिल हैं।

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम कानपुर ने नगर आयुक्त सुधीर कुमार के नेतृत्व में नगरीय सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार करते हुए प्रशासनिक कार्यों को जनहित के अनुकूल दिशा दी है। बीते कुछ सप्ताहों में निगम द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए शहर की बुनियादी संरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अनेक ठोस पहलें की गई हैं।



नगर आयुक्त सुधीर कुमार

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि नगरीय सेवाओं को पारदर्शी, तकनीकी और सेवा उन्मुख बनाना हमारी प्राथमिकता है।



नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए टीम लगातार कार्य कर रही है। कानपुर नगर निगम की यह कार्यशैली नगर की छवि में सुधार और नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुस्लिम टैटू आर्टिस्ट फराज़ जावेद को विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मानित

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। सावन के पावन माह में कानपुर शहर ने धार्मिक सौहार्द और सामाजिक एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। एक्सपोज़ टैटू स्टूडियो, नवीन मार्केट से संचालित 51000 फ्री महादेव टैटू सेवा का आज अंतिम दिन था। विशेष बात यह रही कि इस सेवा के पीछे एक मुस्लिम युवक का समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव रहा, जिसका उद्देश्य हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूती देना और समाज में फैल रही नफरत को खत्म करना था। इस सेवा के प्रेरक फराज़ जावेद, जो स्वयं एक मुस्लिम टैटू आर्टिस्ट हैं, ने निःशुल्क महादेव टैटू बनाकर हजारों शिवभक्तों को न केवल

» कानपुर से सौहार्द और एकता की मिसाल कायम कर रहे हैं

» 51000 फ्री महादेव टैटू सेवा का समापन

सेवा दी बल्कि धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर प्रेम और समर्पण का संदेश भी दिया।

फराज़ जावेद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि पूरा विश्व देखे कि भारत की सरजमीं पर हिंदू और मुस्लिम प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं। हमारा उद्देश्य नफरत नहीं, सौहार्द और भाईचारा बढ़ाना है। इस पहल को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा

अध्यक्ष माननीय सतीश महामना ने फराज़ जावेद को विधानसभा भवन, लखनऊ में आमंत्रित कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, इस प्रकार की सेवाएं आज के समाज को जोड़ने का काम करती हैं। कानपुर ने भाईचारे की मिसाल दी है और फराज़ जावेद जैसे लोगों के कार्य देश की आत्मा को मजबूती देते हैं। फराज़ ने उन मीडिया संस्थानों और पत्रकारों का भी आभार जताया जिन्होंने इस अभियान को समाज के सामने लाने में मदद की।

51000 से अधिक शिवभक्तों को निःशुल्क टैटू बनाकर दी गई यह सेवा अब एक ऐतिहासिक सामाजिक पहल के रूप में जानी जाएगी।



...ऐसे देख रही थी भीड़ मानो फिल्म की शूटिंग चल रही हो

बीच बाजार तालिबानी सजा, गला दबाया, 44 सेकेंड में 18 डंडे मारे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)।...जो मंजर बुधवार को पूरा बाजार देख रहा था, वो किसी फिल्मी सेट से कम नहीं था। एक ओर युवक पर ताबड़तोड़ लाठियां बरस रही थीं, वो चीख-चीखकर रहम की भीख मांग रहा था, दूसरी ओर भीड़ ऐसे देख रही थी मानो कोई एक्शन सीन शूट हो रहा हो। किसी ने 'कट' नहीं बोला, किसी ने 'पुलिस' नहीं पुकारा।

जो सामने हो रहा था वो जानलेवा हमला था, लेकिन देखने वालों की आंखों में न डर था, न शर्म, मानो इंसान की जगह दर्शक खड़े हों। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल भी कर दिया। जानकारी के मुताबिक मामूली लेनदेन के विवाद में एक सर्राफ कारोबारी ने अपने भाई और साथी के संग मिलकर युवक को पहले दुकान पर बुलाया, फिर कहासुनी के बाद गला दबाकर बीच सड़क पर पटक दिया और 44 सेकेंड में उस पर 18 लाठियां बरसाईं। युवक दर्द से चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन वहां मौजूद दर्जनों लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। वारदात का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो



फिल्मी अंदाज में युवक को दबोचकर पीटते सर्राफा कारोबारी। जांच करने पहुंची पुलिस लोगों से कर रही पूछताछ।



बेहोश युवक को छोड़ भागे दबंग, मरा समझ लिया था।



पुलिस सक्रिय हुई और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों की तलाश शुरू की। हालांकि आपका अपना अखबार स्वराज इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं बताया जाता है कि अमित वर्मा का यह पहला मामला नहीं है। वह पहले भी कई मामलों में चर्चित रह चुका है। अच्छी राजनीतिक

पकड़ होने के कारण वह अब तक कार्रवाई से बचता रहा।
कर्ज नहीं, हिसाब मांगना पड़ा महंगा : पुलिस के मुताबिक, मामला शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सादिकामऊ गांव के रहने वाले नीरज सिंह से जुड़ा है। नीरज ने एक साल पहले पूरा बाजार स्थित सर्राफ कारोबारी अमित वर्मा की दुकान पर करीब

50 हजार रुपये में दो सोने के कंगन गिरवी रखे थे। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले नीरज दुकान पहुंचा और गिरवी रखे कंगनों की रकम का हिसाब-किताब करना चाहा, लेकिन बात बिगड़ गई। बुधवार को नीरज दोबारा दुकान पहुंचा तो कहासुनी तेज हो गई और देखते ही देखते मामला मारपीट पर उतर आया।

दुकान से सड़क तक घसीटकर दी सजा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के बीच सर्राफ अमित वर्मा ने पहले नीरज का गला दबाया और उसे दुकान से बाहर सड़क पर खींच लाया। तभी अमित का भाई सुमित वर्मा डंडे लेकर पहुंचा और नीरज पर ताबड़तोड़ 18 वार कर डाले। वहीं तीसरा आरोपी रजत उर्फ मंसूरी भी पूरे घटनाक्रम के दौरान मौजूद रहा। युवक मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर चारों तरफ लोग सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाने में जुटे हुए थे। किसी ने न रोकने की हिम्मत दिखाई और न पुलिस को सूचना दी।

वीडियो न होता तो दब जाता मामला!

वायरल हुए वीडियो में साफदेखा जा सकता है कि किस तरह नीरज रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आरोप है कि पीटने के बाद हमलावर उसे मरा समझकर वहीं छोड़ फरार हो गए। लोगों ने कहा कि वीडियो वायरल न हुआ होता तो शायद यह भी कई और मामलों की तरह दबा दिया गया होता।

केस दर्ज, गिरफ्तारी के प्रयास जारी

एसीपी बिल्हौर अमरनाथ यादव ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर सर्राफ कारोबारी अमित वर्मा, उसके भाई सुमित वर्मा और उनके साथी रजत उर्फ मंसूरी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है।

किया बचाव

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश की सफाई, बोले पांच दिन के प्रशिक्षण के लिए मंगवाई थी

एलईडी मंगाने में फंसे बीईओ दे रहे सफाई


» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। दिवंगत शिक्षिका के परिजनों द्वारा स्कूल को दान में दी गई एलईडी मंगवाने के मामले में खुद को फंसाता देख बीईओ अब बचाव में उतर आए हैं और सोशल मीडिया के गुप में सफाई दे रहे हैं कि हमने पांच दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण के लिए उसे मंगवाया था और प्रशिक्षण पूरा होते ही उसे लौटा देंगे। क्या बीईओ यह भूल गए कि शासन ने ककवन विकास खंड के कई स्कूलों को पहले से ही एलईडी दी हुई हैं, उन्हें आखिर क्यों नहीं मंगाया गया। बताते चलें कि ककवन

» प्रशिक्षण पूरा होते ही टीवी लौटा देने की कर रहे बात
» कमीशन मांगने के लिए पहले से ही काफी चर्चित रह चुके

विकास खंड के बीईओ कमलेश कुमार गुप्ता स्कूल के विकास के लिए मिली कंपोजिट की धनराशि से अपना कमीशन मांगने के लिए पहले से ही काफी चर्चित रह चुके हैं। और खुद को बड़ा अफसर समझते हुए ऑफिस के पीछे ही विश्राम कक्ष भी बनवा रखा है। शिक्षकों का कहना है कि नियमानुसार यह गलत है। वहीं जब वह

बात प्रधानाध्यापक से अनुमति की करते हैं तो बीईओ के सामने प्रधानाध्यापक की सहमति लिए जाने की बात पूरी तरह हास्यास्पद लगती है। जानकारी में आया है कि उत्तमपुर स्कूल में खड़े जर्जर भवन की नीलामी में मिले रुपयों पर भी इनकी टेडी नजर रही है। जब स्कूल की शिक्षिका ने उन पैसों से टूटी बाउंड्री बनवाने की बात कही थी तो उक्त खंड शिक्षा अधिकारी ने बाउंड्री बनवाने से मना कर कहा था कि यह पैसा हमें दो हम इसको परियोजना में भेजेंगे। जबकि जानकार बताते हैं कि इस तरह की धनराशि परियोजना में भेजने का कोई नियम नहीं है।



खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इस तरह पेश की गई सफाई।

तो क्या स्कूल स्टाफ पर गिरेगी गाज!

बिल्हौर। जिस तरह स्कूल की एलईडी के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता फंसे हैं उससे स्कूल स्टाफ के प्रति उनकी काफी नाराजगी है। उन्होंने इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब देखना यह है कि वह खुद की बचाने के लिए स्कूल स्टाफको बलि का बकरा बनाते हैं या फिर खुद ही कार्रवाई के लपेटे में आ जाते हैं।

सम्पादकीय

छात्र जीवन संकट सिस्टम की नाकामी

निस्संदेह, किसी छात्र की आत्महत्या हमारी शिक्षा व्यवस्था की संस्थागत विफलता ही है। यदि शिक्षा व्यवस्था सतर्क-संवेदनशील रहे तो इन संभावनाओं को असमय काल-कवलित होने से बचा सकते हैं। आंध्रप्रदेश की एक 17 वर्षीय नीट छात्रा की सदिग्ध मौत के मामले में सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सदीप मेहता की पीठ ने छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर मार्गदर्शक टिप्पणियों की हैं। छात्रों का जीवन बचाने हेतु इस सुप्रीम गाइडलाइंस में पीठ ने देशभर के स्कूल, कालेजों और कोचिंग संस्थानों के लिये गाइडलाइंस जारी की। दरअसल, न्यायाधीश वर्ष 2022 के लिए एनसीआरबी की उस रिपोर्ट से व्यथित थे, जिसमें दर्शाया गया कि इस साल आत्महत्या करने वाले 1,70,924 लोगों में 13,044 छात्र भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का मकसद जानकारी देना ही नहीं है, इसका उद्देश्य जीवन जीने की कला सिखाना भी है। निस्संदेह, शिक्षा का मकसद छात्रों का बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए। कोर्ट का मानना था कि शिक्षण संस्थाएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकताएं बनाएं। यह भी कि मानसिक स्वास्थ्य, अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। पीठ ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों के लिये पंद्रह दिशा-निर्देश तय किए हैं, जो इस बाबत कानून बनाने तक ये गाइडलाइंस बाध्यकारी होंगी। निस्संदेह, सुप्रीमकोर्ट पीठ के ये दिशा-निर्देश उपचारक साबित हो सकते हैं। इसमें

प्रत्येक शिक्षण संस्थान को मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाने और विशेषज्ञ नियुक्त करने के निर्देश हैं। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति व कार्यक्रमों को इस नीति में शामिल करना होगा। साथ ही जहां सौ से अधिक छात्र हों, वहां मनोवैज्ञानिक व काउंसलर नियुक्त करने होंगे। छात्रों में हीन भावना न आए, इसलिये कोचिंग संस्थान शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर कोई बैच न बनाएं। शिक्षकों व स्टाफ को वर्ष में दो बार छात्रों में आत्महत्या के संकेत पकड़ने व मानसिक स्वास्थ्य के बाबत प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। सुनिश्चित हो कि समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों व शारीरिक अपूर्णता से जूझ रहे छात्रों के साथ किसी तरह का भेदभाव न होने पाए। शिक्षण संस्थान व कोचिंग के परिसर में रैगिंग, यौन उत्पीड़न तथा किसी तरह के भेदभाव से निपटने के लिये समिति बने। साथ ही पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा अभिभावकों को सचेत किया जाए कि वे छात्रों पर अंकों का दबाव न बनाएं और मानसिक तनाव के प्रति संवेदनशील रहें। संस्थान सालाना आधार पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई की रिपोर्ट हर साल यूजीसी को दें। इसके साथ ही खेल, कला व व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। सतर्कता हेतु हॉस्टलों को सुरक्षित बनाने तथा छत, बालकनी, पंखे जैसे स्थानों पर सेप्टी डिवाइस लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

नये अवसरों के सृजन को गंभीर पहल जरूरी

धमा शर्मा

इस समय देशभर में मिशन मोड में नई सरकारी नियुक्तियां करने और नए रोजगार मौके सृजित किए जाने की अहम जरूरत है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी फ़िंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के द्वारा कौशल विकास में भारी निवेश की जरूरत है देश के राज्यों और केंद्र स्तर पर निकलने वाली सरकारी की विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की फेज-13 सेलेक्शन पोस्ट 2025 के अंतर्गत 2423 पदों की भर्ती के लिए पूरे देश से 29 लाख से अधिक आवेदन आए हैं।

पिछले वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जो भर्तियां की हैं, वे रिक्त पदों की तुलना में बहुत कम हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी नवीन श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) के आंकड़ों के मुताबिक 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर जून 2025 में तेजी से बढ़कर 15.3 रही। यह शहरों में बढ़कर 18.8 प्रतिशत रही जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 13.8 प्रतिशत रही है। फ्रांस के कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिविस एसए के द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिस तेजी से युवा रोजगार के लिए तैयार होकर श्रम शक्ति (वर्क फोर्स) में शामिल हो रहे हैं, उसको देखते हुए भारत को 2030 तक प्रति वर्ष 1.65 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। इसमें से करीब 1.04 करोड़ नौकरियां संगठित सेक्टर में पैदा करनी होंगी। जबकि पिछले दशक में सालाना कुल 1.24 करोड़ नौकरियां ही पैदा हो सकी थीं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी को बरकरार रखने के लिए सर्विसेज से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सभी सेक्टर को नई रफ्तार से बढ़ावा देना होगा ऐसे में इस समय देशभर में मिशन मोड में नई सरकारी नियुक्तियां करने और नए रोजगार मौके सृजित किए जाने की अहम जरूरत है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी फ़िंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के द्वारा कौशल विकास में भारी निवेश की जरूरत है, जिससे देश के जनसांख्यिकीय लाभ को हासिल करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है



कि कौशल विकास के लिए निवेश का बोझ सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों को मिलकर उठाना होगा। भारत के पास अभूतपूर्व अवसर हैं, क्योंकि खाड़ी सहयोग परिषद, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कौशल की भारी कमी का सामना कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंच पर भारत की कार्यबल क्षमता को उजागर करने के लिए कौशल विकास पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है। वित्त वर्ष 2015 से अब तक कॉर्पोरेट्स द्वारा सीएसआर पर खर्च किए गए 2.22 लाख करोड़ रुपये में से केवल 3.5 प्रतिशत ही कौशल विकास के लिए खर्च किया गया है। ऐसे में सीएसआर निवेश को अलग-थलग कौशल गतिविधियों से आगे बढ़ना होगा। जब सरकारी पहलों के साथ रणनीतिक रूप से एकीकृत किया जाता है, तो सीएसआर में एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करने की अपार क्षमता होती है। सरकार को देश की नई पीढ़ी को जॉब सीकर यानी नौकरी की चाह रखने वाले से ज्यादा नए दौर के जॉब गिवर यानी नौकरी देने वाले बनाने की तेज रणनीति के साथ भी आगे बढ़ना होगा। देश में स्वरोजगार की रफ्तार बढ़ाई जानी होगी।

एक्सपायरी दवाओं से बढ़ता पर्यावरणीय संकट

निस्तारण की समस्या

डा.0 जगदीप सिंह

एक्सपायरी दवाओं का गलत निपटान पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इनके सुरक्षित निस्तारण और इस दिशा में जागरूकता बढ़ाना समाज की जिम्मेदारी है, ताकि दवा अपशिष्ट से होने वाले दुष्प्रभाव रोके जा सकें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, सभी दवाओं पर समापन तिथि अंकित होना अनिवार्य है। निर्माता आमतौर पर दवा की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समापन तिथियों का रूढ़िवादी अनुमान प्रदान करते हैं। एक्सपायरी दवाइयां रखना अथवा इनका सेवन करना गितना जोखिमपूर्ण हो सकता है, उससे कहीं अधिक घातक सिद्ध होता है

इनका असुरक्षित निपटान। एक अध्ययन के मुताबिक 60 प्रतिशत से अधिक लोग निस्तारण निर्देशों से सर्वथा अपरिचित हैं।

भारतवर्ष में 'बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016' के आधार पर अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक लैब और मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों को अपने यहां उत्पन्न होने वाला मेडिकल वेस्ट सुरक्षित तरीके से एकत्रित करके अधिकृत ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक पहुंचाना होता है। नियमों के तहत, फार्मसियों तथा अस्पतालों में भी दवाओं के लिए अलग से मेडिसिन ड्रॉप बॉक्स-कंटेनर आदि रखे जा सकते हैं, जिससे रोगी पुरानी या एक्सपायरी दवाइयां लौटा सकें। घरेलू स्तर पर अनुपयोगी दवा निस्तारण संबद्ध व्यवस्था

खंगालें तो इस संदर्भ में कोई स्पष्ट नीति नहीं। वास्तव में, देश के अनेक शहरों में अभी तक कोई आधिकारिक या व्यवस्थित सिस्टम नहीं बन पाया। न तो एक्सपायरी दवाइयों को निपटाने हेतु कोई ठोस संग्रहण नीति बनी है, न ही अपेक्षित सतर्कता को लेकर पर्याप्त जन-जागरूकता अभियान ही चलाए जाते हैं। कतिपय प्रयत्न यदि होते हैं तो अधिकतर निजी संस्थानों या समाजसेवकों के हवाले से ही एक्सपायरी दवाइयां समय के साथ विषाक्त रसायनों में परिवर्तित होने लगती हैं। समुचित निस्तारण न हो तो इनका दुष्प्रभाव समूचे पर्यावरण को विषैला बना सकता है। ज्यादातर मामलों में दवाएं शौचालय में बहाना जीवों, पर्यावरण और जलापूर्ति के लिए बेहद हानिकारक हो सकती हैं। बावजूद इसके, 2020 की एक

शोध-समीक्षा के मुताबिक, अनुपयोगी दवा निपटान प्रबन्धन के अभाव के चलते, कई देशों में रोगियों द्वारा पुरानी-एक्सपायरी दवाएं कचरे में फेंकना अथवा सीवर में बहाना निस्तारण का सबसे आम तरीका पाया गया। भारत के बड़े शहरों में भी कमोबेश यही स्थिति है। कूड़े के ढेर में मुंह मारते आवारा पशु अथवा कुत्तों-कौओं के झुंड भक्ष्य पदार्थों की खोज में अक्सर असावधानीपूर्वक फेंकी गई दवाएं भी निगल जाते हैं। शरीर के लिए अहितकारी रसायनों से उनकी मौत तक हो सकती है। सिंक या शौचालय में बहाई दवाइयां शहर के सीवरज सिस्टम से होती हुई नदियों और भूमिगत जल में जा मिलती हैं। दवा में मौजूद विषाक्त रसायन जहां मिट्टी की उर्वरकता प्रभावित करते हैं, वहीं इससे पेयजल दूषित होने की

संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। सीवेज सिस्टम में मौजूद दवाओं के तत्व जलीय जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। जलापूर्ति में दवाओं की न्यूनतम मात्रा भी मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करती है। कुछ दवाएं एंडोक्राइन डिस्पॉरेशन का कारण बन सकती हैं, इससे मछलियों और मनुष्यों में हार्मोनल असंतुलन देखा गया। पानी में दवाओं की सूक्ष्म मात्रा एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध बढ़ा देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट मानता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। उपर्युक्त दवाइयों के निपटान का सर्वोत्तम तरीका है, अपने आस-पास स्थित किसी दवा वापसी केंद्र का इस्तेमाल करना। भारत में कुछ प्राइवेट फार्मसियां यह सुविधा देती हैं।



सगे भाइयों के अपहरण का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बड़े चौराहे से डेढ़ साल और छह वर्षीय बच्चों के अपहरण का आरोपी अहिरवा निवासी वैभव सिंह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कानपुर के बड़ा चौराहा से डेढ़ साल और छह वर्षीय भाइयों के अपहरण का आरोपी गुरुवार की सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। वह कैट क्षेत्र से जाजमऊ की ओर जा रहा था। कोतवाली और कैट पुलिस की घेराबंदी में पुलिसकर्मियों पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली उसके बायें पैर में लगी है। आरोपी को उर्सला अस्पताल ले जाया गया है।

पुलिस बुधवार की शाम को डेढ़ साल के मासूम की तलाश कर अपहरण करने और बच्चा खरीदने वाली महिला को गिरफ्तार कर चुकी है।

बड़ा चौराहा पर रंग बेचने वाली जीनत और फेरी लगाकर सामान बेचने वाले शरीफ के बेटों छह साल का फरीद और डेढ़ वर्षीय शादाब का सोमवार की शाम को अपहरण हो गया। दोनों ने बच्चों की इधर उधर तलाश



की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं हुई।

बच्चे ने बड़ा चौराहा क्षेत्र का हुलिया बताया
पुलिस को भी सूचना नहीं दी। मंगलवार की दोपहर फरीद शिवराजपुर बाजार में संदिग्ध हालात में रोता हुआ मिला। दुकानदारों ने पुलिस को जानकारी दी। बच्चे ने पुलिस को बड़ा चौराहा और आसपास के क्षेत्र हुलिया बताया।

शिवराजपुर पुलिस फरीद को लेकर कोतवाली ले आई। कोतवाली पुलिस ने बच्चों के माता पिता की तलाश की, जिस पर

मंगलवार देर शाम उसके माता पिता का पता चला।

पुलिस ने 70 सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई

जीनत ने फरीद से छोटे भाई के बारे में पूछा, जिस पर उसने अगवा करने वाली महिला और युवक की जानकारी दी। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पांडेय ने टीम के साथ करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई। शिवराजपुर पुलिस ने भी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को तलाश किया।

शिवराजपुर में सफेद रंग की स्कूटी नजर आई। उसमें महिला, युवक और दोनों बच्चे थे।

शादी के 13 साल होने के बावजूद कोई संतान नहीं है

पुलिस ने स्कूटी के नंबर के आधार पर महिला को चकेरी से गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पांडेय ने बताया कि महिला चकेरी क्षेत्र की रहने वाली जूली रानी कुशवाहा है। उसने उन्नाव की रहने वाली रेशमा बेगम को 1.15 लाख रुपये में शादाब को बेचा था।

महिला के शादी के 13 साल होने के बावजूद कोई संतान नहीं है। जूली रानी कुशवाहा ने उसे बच्चा बेच दिया।

पुलिस आरोपी अहिरवा निवासी वैभव सिंह की तलाश कर रही थी। एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार ने बताया कि वैभव सिंह के कैट क्षेत्र में आने की सूचना मिली थी। कोतवाली और कैट पुलिस को सक्रिय कर दिया गया। पुलिसकर्मियों ने उसकी घेराबंदी की, जिसमें उसने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी के पास तमंचा, कारतूस और बाइक मिली है।

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, दहेज के लिए जहर देकर हत्या का आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। हनुमंत विहार में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने पति और ससुरालियों पर 10 लाख रुपये और बाइक की दहेज मांग पूरी न होने पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। कानपुर के हनुमंत विहार थानाक्षेत्र में बुधवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। मायके वालों ने पति समेत ससुरालीजनों पर 10 लाख रुपये और बाइक की मांग पूरी न करने पर मारपीट कर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।


बौद्ध नगर मछरिया निवासी अनिल कुमार दुबे ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2022 में बेटी अनामिका उर्फ शालिनी (24) की शादी नारायणपुरी



निवासी आदित्य तिवारी के साथ की थी। दोनों से एक बेटा समर्थ है। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुरालीजन दहेज की अतिरिक्त मांग करने लगे। असमर्थता जताने पर आए दिन बेटी को प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद हैलट पहुंचाया और सूचना कर भाग निकले। परिजनों ने हनुमंत विहार पुलिस को सूचना दी। हनुमंत विहार थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ससुरालियों की तलाश की जा रही है।

बाँम्बे हॉस्पिटल

नियर आघू रोड, कानपुर-आगरा हाईवे, अकबरपुर, कानपुर देहात



24 घंटे इमरजेंसी सुविधा

24 घंटे एम्बुलेंस व मेडिकल स्टोर की सुविधा

दूरवीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन

हेल्पलाइन नं.: 8355017999, 8858997333

हड्डी के सभी ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी

पित्ताशय की पथरी, फिशर, नासूर

अपेन्डिक्स, प्रोस्टेट, कैंसर की गांठ, भगंदर

हर्निया, हाइड्रोसेल, छाती का कैंसर

पेट की चोट व अन्य समस्याएं

बच्चेदानी व अण्डाशय की गांठ

घुटने का प्रत्यारोपण, पाइल्स (बवासीर)



डॉ. सुरेश यादव
डायरेक्टर



मामा ने किया तमंचे से हमला, अब इन्साफ की जंग लड़ रहा है भांजा

» जमीन के लेन-देन में हुआ विवाद, मामा पक्ष पर जानलेवा हमले का आरोप

» 112 डायल से बची जान, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र में जमीन के लेन-देन को लेकर गंभीर विवाद के बाद रविंद्र प्रताप सिंह नामक युवक पर जानलेवा हमला किया गया।

आरोप है कि पीड़ित युवक के मामा राम प्रताप, बदन सिंह और महिपाल सिंह ने उस पर अश्लील तमंचे से फायर कर जान से मारने की कोशिश की।

रविंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर अपनी सूझबूझ से भागकर जान बचाई और तुरंत 112 डायल

कर पुलिस से मदद मांगी। आपातकालीन पुलिस सहायता मौके पर पहुंची और पीड़ित को सुरक्षित किया।

घटना 27 जुलाई 2025 की है, जिस पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया। हमले में बाल-बाल बचे रविंद्र प्रताप सिंह जमीन संबंधी कार्यों के लिए अपने मामा के यहां रह रहे थे, लेकिन अब वही संबंध उनके लिए जान का खतरा बन चुके हैं।



गोली लगने से घायल युवक

गिरफ्तारी नहीं, न्याय की उम्मीद अधर में

हालांकि मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे आहत पीड़ित रविंद्र प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच चुका है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नव-नियुक्त थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे या मामला यूं ही फाइलों में दफन कर दिया जाएगा? पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावर अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में न्याय के लिए पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सावन में बाधित आस्था का मार्ग, मंदिर तक पहुंचना बना चुनौती

गंदे पानी से मंदिर प्रांगण लबालब, पूजा-पाठ में बाधा शिकायतों के अंبار के बाद भी जिम्मेदार बेपरवाह

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत वैना में धार्मिक स्थल के आसपास जमा गंदे पानी ने ग्रामीणों की आस्था और सहनशीलता की कड़ी परीक्षा ले ली है। सावन के पवित्र महीने में जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ होनी चाहिए, वहां अब जलभराव और दुर्गंध फैली हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो वर्षों से मंदिर में पूजा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि न तो जलनिकासी की कोई व्यवस्था है, न ही मंदिर तक जाने के लिए ठीक रास्ता। स्थानीय निवासी नरेंद्र सिंह के अनुसार, 2023 से लेकर अब तक जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी सहित कई पोर्टलों पर शिकायत

दर्ज की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। रामश्री देवी ने बताया कि बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे फिसलकर गिरते हैं, जिससे उन्हें चोट लगने का डर बना रहता है।

नाला नहीं तो निदान नहीं, प्रधान प्रतिनिधि की दलील

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फतेह बहादुर सिंह (मिंटू सिंह) ने बताया कि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान केवल नाले के निर्माण से संभव है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मी नियमित रूप से मंदिर प्रांगण समेत पूरे गांव की सफाई करते हैं, लेकिन जब तक नाला नहीं बनेगा, तब तक ये संकट खत्म नहीं होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अराजक तत्व नाला निर्माण कार्य



में बाधा डालते हैं, जिससे प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है।

योगी सरकार की सख्त हिदायतों के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही ग्रामीणों को रोज़ बर्बादी की ओर धकेल रही है। सवाल यही उठ रहा है—क्या अधिकारी किसी दबाव में हैं या फिर जनहित की समस्याएं उनके एजेंडे में ही नहीं हैं?

जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण लापरवाही पर चेतावनी, अनुशासन पर सख्ती

» कार्यालयों में गंदगी नहीं होगी
बर्दाश्त, साफ-सफाई पर खास
फोकस

» फाइलों का डिजिटलीकरण
अनिवार्य, अनुपस्थित कर्मचारियों
पर होगी कार्रवाई

» कलेक्ट्रेट के अभिलेखागार से लेकर
न्यायालय तक सब कुछ हुआ चेक

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल

सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित

कई प्रमुख कार्यालयों का औचक

निरीक्षण कर साफ-सफाई, अभिलेखों

की स्थिति और कर्मचारियों की

कार्यसंस्कृति का जायजा लिया।

निरीक्षण में अभिलेखागार, संयुक्त

कार्यालय, न्यायालय, क्रिमिनल रिकार्ड

रूम, निर्वाचन कार्यालय, औषधि एवं

निबंधन कार्यालय और जिला खाद्य

विपणन कार्यालय शामिल थे।

उन्होंने कहा कि सभी दफ्तरों में नियमित
साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए और
वातावरण ऐसा बनाया जाए जिससे



कार्यकुशलता बढ़े और आम जनता को
बेहतर सेवाएं मिलें।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी
महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित व क्रमबद्ध
रूप से रखा जाए और उनका जल्द से जल्द
डिजिटलीकरण किया जाए।

**अनुपस्थित कर्मचारियों पर होगी
अनुशासनात्मक कार्रवाई**

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट
निर्देश दिए कि कोई भी कर्मचारी कार्यालय
समय में बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित न
मिले।

उन्होंने चेताया कि भविष्य में ऐसा पाए
जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की
जाएगी।



उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट जनता
की समस्याओं के समाधान का मुख्य
केंद्र है, अतः यहां का वातावरण साफ,
पारदर्शी और व्यवस्थित होना चाहिए।
सभी अधिकारी-कर्मचारियों को
निर्देशित किया गया कि वे पूरी निष्ठा,
समयबद्धता और उत्तरदायित्व के साथ
अपने कार्यों का निर्वहन करें।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास
अधिकारी लक्ष्मी एन., अपर
जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित
कुमार, और अपर जिलाधिकारी (वित्त
एवं राजस्व) दुष्यंत कुमार मौर्य समेत
अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के सड़क पर दौड़ते वाहन अब सीधे कार्रवाई की जद में

» 31 जुलाई तक चला अभियान, 2049
वाहन चालकों पर हुई सख्त कार्रवाई

» अब भी न सुधरे तो लगेगा 10 हजार
तक जुर्माना, वाहन हो सकता है सीज़

» हर वाहन पर जरूरी है एचएसआरपी
(उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट)

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। सहायक संभागीय परिवहन
अधिकारी ने जनपद के समस्त वाहन
स्वामियों और चालकों को यह अवगत
कराया कि उत्तर प्रदेश शासन के
निर्देशानुसार सभी पंजीकृत वाहनों पर



एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है।
दोपहिया वाहनों पर यह प्लेट आगे और पीछे,
जबकि तीन पहिया, चार पहिया और भारी वाहनों
पर आगे, पीछे और विंडस्क्रीन (सामने का शीशा)
पर रंगीन स्टीकर युक्त तीसरी प्लेट लगनी चाहिए।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं नियमावली
1989 के तहत, बिना एचएसआरपी लगे वाहन का
संचालन अवैध है।

अगर कोई वाहन बिना एचएसआरपी, छेड़छाड़
की गई नंबर प्लेट या ढंकी हुई प्लेट के साथ पकड़ा
जाता है तो यह दंडनीय अपराध है। पहली बार
उल्लंघन पर ₹5000 और दूसरी बार 10000 तक
का जुर्माना, साथ ही वाहन सीज़ करने की कार्रवाई
की जा सकती है।

महिला सिपाही विमलेश पाल को पुलिस विभाग ने दी अंतिम विदाई

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बाराबंकी। मसौली कोतवाली क्षेत्र में सदियुद्ध परिस्थितियों में मृत मिली महिला सिपाही विमलेश पाल की अंतिम यात्रा का दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था। बाराबंकी रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में आईजी अयोध्या रंज प्रवीण कुमार और एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने शव को कंधा दिया और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मियों ने भी शोक व्यक्त करते हुए पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी।

महिला सिपाही का शव मसौली क्षेत्र के बिंदौरा पुल के पास झाड़ियों में मिला था। शव के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है।

अंतिम संस्कार में आईजी और एसपी हुए भावुक



जानकारी के अनुसार, मृतका ने वर्ष 2024 में अपने साथी सिपाही इन्द्रेश के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद मृतका की बहन की ओर से दी गई तहरीर पर

मसौली पुलिस ने आरोपी सिपाही इन्द्रेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं।

यह मामला पुलिस विभाग के भीतर

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पूरे प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है, जबकि मृतका के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं।

एक माह में ही ध्वस्त होने लगी पुलिया, ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

ग्राम प्रधान पर सरकारी धन के दुरुपयोग और अवैध वसूली के गंभीर आरोप, जांच रिपोर्ट से ग्रामीण असंतुष्ट

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बाराबंकी (सुरतगंज)। विकास खंड सुरतगंज के अंतर्गत ग्राम मिरीया में हाल ही में निर्मित पुलिया भ्रष्टाचार की गेट चढ़ती नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बुडना तालाब के जल निकासी के लिए ग्राम प्रधान द्वारा एक माह पूर्व जो पुलिया बनवाई गई थी, वह निर्माण की गुणवत्ता में भारी कमी के कारण अब ध्वस्त होने लगी है। मुन्ना लाल, सोनू, छोटेलाल, मिथिलेश, गंगाराम, मुन्नीलाल समेत कई ग्रामीणों ने इस संबंध में सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है और जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी को लिखित पत्र भेजकर ग्राम प्रधान राकेश कुमार मिश्रा पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण कार्य में घटिया ईट, सीमेंट और बालू का इस्तेमाल किया गया, जिससे पुलिया की दीवारों में बड़ी दरारें आ गई हैं।



का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है, जिससे गांव में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी अतुल कुमार और तकनीकी सहायक दिनेश कुमार सिंह द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ है और सभी आरोप

निराधार हैं। वहीं, ग्राम प्रधान राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि बारिश के कारण दीवार धंस गई है, जिससे ऊपरी दीवार में दरारें आई हैं। जल्द ही मरम्मत कराई जाएगी लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया की हालत एक माह में ही बिगड़ना निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को दर्शाता है। उन्होंने दोबारा जिलाधिकारी से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

प्रधानाध्यापक की फर्जी हाजिरी की जांच में अनियमितता का आरोप

खंड शिक्षा अधिकारी पर पक्षपातपूर्ण निस्तारण का आरोप, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बाराबंकी (त्रिवेदीगंज)। विकास खंड त्रिवेदीगंज के प्राथमिक विद्यालय ओल्हेपुर में तैनात इंचार्ज प्रधानाध्यापक दीपमाला पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने जांच निस्तारण को गलत बताते हुए एक बार फिर उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है।

गांव पूरे बख्त्वावर पुरवा निवासी शिक्षामित्र शत्रोहन लाल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित शिकायत में आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक 21, 25 और 30 जून को विद्यालय में अनुपस्थित थीं, लेकिन अगले दिन आकर उपस्थिति

रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी ने गलत तिथियों (27 व 28 जून) का स्पष्टीकरण लेकर मामले को समाप्त कर दिया, जो पूर्णतया भ्रामक और पक्षपातपूर्ण है। शिक्षामित्र ने मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी रामनारायण ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्राध्यापक शत्रोहन लाल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित शिकायत में आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक 21, 25 और 30 जून को विद्यालय में अनुपस्थित थीं, लेकिन अगले दिन आकर उपस्थिति

बड़ावां गांव के तालाब में दिखा विशालकाय मगरमच्छ, मचा हड़कंप

निंदूरा (बाराबंकी)। विकास खंड निंदूरा क्षेत्र के बड़ावां गांव के पास एक तालाब में विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ शारदा सहायक नहर के रास्ते तालाब में आ गया है।

घटना की सूचना मिलते ही वन रेंजर मयंक कुमार सिंह के निर्देश पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे। वन दरोगा सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ग्रामीणों से तालाब के आसपास सतर्क रहने की अपील की गई है।

जनसेवा और पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता: कमिश्नर

» अयोध्या के नवागत मंडलायुक्त राजेश कुमार की पहली प्रेसवार्ता

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
अयोध्या। अयोध्या मंडल में शासन की प्राथमिकताओं को ज़मीनी हकीकत में बदलना मेरा मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगारोन्मुखी योजनाएं हमारी शीर्ष प्राथमिकता होंगी। यह बात अयोध्या मंडल के नवागत मंडलायुक्त राजेश कुमार ने कार्यभार ग्रहण के बाद आयोजित अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कही।

राजेश कुमार, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2008 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन में सचिव गृह पद पर कार्यरत थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयुक्त सभागार में



वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार ने मीडिया से की वार्ता।

आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि अयोध्या एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंडल है और उनकी कोशिश होगी कि यहां विकास और परंपरा दोनों का संतुलन बना रहे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में उन्होंने बताया कि जनपद में आगमन के साथ ही

उन्होंने हनुमानगढ़ी, कनक भवन और श्रीराम जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन-पूजन कर प्रभु श्रीरामलला से आशीर्वाद प्राप्त किया। नवागत मंडलायुक्त जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, एसएसपी गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार पांडे समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की योजनाएं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचें, यह सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यशैली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता को लेकर वे सतर्क रहेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने विभिन्न मुद्दों जैसे शहरी विकास, ट्रैफिक व्यवस्था, धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं और महिला सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे, जिन पर मंडलायुक्त ने सकारात्मक और ठोस जवाब देते हुए जल्द ही नीतिगत कदम उठाने की बात कही।

अंत में उन्होंने मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा, सार्थक संवाद और सकारात्मक आलोचना ही किसी प्रशासन को बेहतर बनाते हैं, मुझे उम्मीद है कि मीडिया समाज के इस दर्पण की भूमिका में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा।

अयोध्या पुलिस ने दिलाई बेबस मां को पहचान

» सतर्कता और संवेदनशीलता की मिसाल बनी अयोध्या पुलिस

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
अयोध्या। जिस घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था जहाँ एक बुजुर्ग महिला को दो महिलाओं और एक पुरुष द्वारा सड़क किनारे बेसहारा हाल में छोड़ दिया गया था उसमें अब पुलिस की सूझबूझ और तत्परता से बड़ी सफलता मिली है। मृत बुजुर्ग महिला की पहचान भगवती पत्नी बृजलाल, निवासी ग्राम नगवा, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा के रूप में हुई है।

कोतवाली अयोध्या की टीम ने न केवल महिला की पहचान की, बल्कि इस अमानवीय कृत्य के पीछे संभावित साजिश की भी परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दर्शन नगर पुलिस चौकी के इंचार्ज जे0एम0 त्रिपाठी ने समय रहते महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बावजूद पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डालने के बजाय



स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो अयोध्या

सड़क पर फेंकी गई बुजुर्ग महिला की मेडिकल कालेज में मौत

» राम की नगरी में मां को ये दुर्गति... ये कैसी अयोध्या?

» बुजुर्ग महिला को लावारिस की तरह सड़क किनारे छोड़ दिया गया था तब ही पुलिस की सूझबूझ और तत्परता से बड़ी सफलता मिली है।

25 जुलाई को प्रकाशित स्वराज इंडिया में खबर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो अयोध्या। कोतवाली अयोध्या के जवान किशुनवराम के पास पहचानने के लिए एक मां को सड़क पर छोड़कर फेंक दिया जाने का मामला जमाना हो गया है। बेसहारा मां को बीती रात मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जमाना या जब तक भी मां को पहचान नहीं आता तब तक उसे नगर पुलिस चौकी में भर्ती कराया जाया जाएगा।


सर्वे स्वास्वत के पास पहचानने के लिए एक मां को सड़क पर छोड़कर फेंक दिया जाने का मामला जमाना हो गया है। बेसहारा मां को बीती रात मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जमाना या जब तक भी मां को पहचान नहीं आता तब तक उसे नगर पुलिस चौकी में भर्ती कराया जाया जाएगा।

सर्वे स्वास्वत के पास पहचानने के लिए एक मां को सड़क पर छोड़कर फेंक दिया जाने का मामला जमाना हो गया है। बेसहारा मां को बीती रात मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जमाना या जब तक भी मां को पहचान नहीं आता तब तक उसे नगर पुलिस चौकी में भर्ती कराया जाया जाएगा।



फौरन मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों तक पहुंचने की मुहिम तेज कर दी।
पुलिस की सजगता से मिला मृत महिला को नाम और सम्मान
 ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ित गुमनामी में दफन हो जाते हैं, लेकिन अयोध्या पुलिस ने मानवीयता की मिसाल पेश करते हुए

मृतका को पहचान दिलाई और न्याय की दिशा में कदम बढ़ाया। कोतवाली प्रभारी मनोज शर्मा चौकी इंचार्ज जेएम त्रिपाठी, जांच टीम और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की जितनी सहायता की जाए कम है। यह मामला न सिर्फ अपराध के खिलाफ एक कड़ा संदेश है, बल्कि उस 'खाकी' की संवेदनशीलता का प्रमाण भी है जिसे अक्सर कठोर कहा जाता है।
 अब देखना होगा कि क्या मृतका को उसके अपनों ने ही बेसहारा किया, या इसके पीछे है कोई गहरी साजिश? पुलिस जांच की अगली परतें इस सवाल का जवाब देंगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे उजली बात उभरी वह है अयोध्या पुलिस का इंसान के प्रति जिम्मेदार और मानवीय चेहरा।



दरोगा जी नशे में राहगीरों से कर रहे थे अभद्रता, लाइन हाजिर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
अयोध्या। शहर की सड़कों पर खाकी की गरिमा को शर्मसार करता दृश्य, जब एक दरोगा ने वर्दी पहनकर नशे में धुत होकर आम राहगीरों को परेशान किया। कोतवाली नगर क्षेत्र के पुष्पराज चौराहे पर दिनदहाड़े सबइंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार शराब के नशे में झूमते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दरोगा जी एक राहगीर को रोककर जबरन उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गए। जब लोगों ने आपत्ति जताई, तो वो बहस पर उतर आए। भीड़ इकट्ठा हुई, और अन्य राहगीरों ने दरोगा जी को बाइक से उतार कर पूछताछ शुरू की। दरोगा की हरकत राहगीरों ने मोबाइल में रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर खबर चलते ही जिले के तेज तर्रार एसएसपी डॉ0 गौरव ग्रोवर ने आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है।

हमारे लिए राष्ट्रीय हित जरूरी

25% फीसदी टैरिफ की घोषणा पर भारत ने दी प्रतिक्रिया

25% फीसदी टैरिफ के साथ अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने का ट्रंप ने किया ऐलान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ और अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला 1 अगस्त से लागू होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा करने के बाद भारत ने पहली प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। इसके साथ ही भारत सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। सरकार ने अपने बयान में कहा कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि सरकार किसानों, उद्यमियों और



एमएसएमई के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जैसा कि ब्रिटेन के साथ हुए नवीनतम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों के मामले में किया गया है।

भारत पर लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ : इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ और अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला 1 अगस्त से लागू होगा। रूस से संबंधों को लेकर जताई

नाराजगी : ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय भारत द्वारा रूस से सैन्य उपकरण और ऊर्जा खरीदने को लेकर भी लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 'याद रखिए, भले ही भारत हमारा मित्र है, लेकिन वर्षों से हमने भारत के साथ अपेक्षाकृत बहुत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं।'

भारत के साथ किया कम व्यापार : सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने भारत के 'उच्च टैरिफ' और 'घृणित गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं' के कारण पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है।

27 फीसदी के टैरिफ की थी घोषणा : इससे पहले अप्रैल में ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 27 प्रतिशत तक के नए टैरिफ की घोषणा की थी। हालांकि, बाद में उस फैसले को स्थगित कर दिया गया था, और तब से दोनों देश एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं।

शाह का कांग्रेस पर निशाना

पीओके आपने दिया, लेकिन लेने का काम हम करेंगे



नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पहलगाय में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) पाकिस्तान को दिया लेकिन भाजपा सरकार उसे वापस लेगी। पहलगाय हमले पर बोलते हुए शाह ने कहा कि इस तरह के बर्बर अपराध कभी नहीं हुए, जहां लोगों को महिलाओं, बच्चों के सामने मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया। उन्होंने कहा कि पहले हम सिर्फ डोजियर भेजते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें (पाकिस्तान को) एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया...खौफपैदा हो गया।

लद्दाख में सेना के वाहन पर गिरी चट्टान

लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दो सैन्यकर्मियों बलिदान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में दुरबुक के पास एक सैन्य काफिले के वाहन पर चट्टान से पत्थर गिरने की दुर्घटना हुई। लेह स्थित फायर एंड एम्बर कॉर्प्स के अनुसार घटना 30 जुलाई 2025 को सुबह लगभग साढ़े 11 बजे हुई। बचाव कार्य जारी है। दुर्घटना में एक अधिकारी सहित कम से कम चार जवान घायल हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बुधवार को सैन्य वाहन पर चट्टान गिरने से दो लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दो सैन्यकर्मियों बलिदान हुए हो गए। इस सड़क हादसे में तीन अधिकारी घायल भी हुए हैं।

बलिदान हुए सैनिकों की पहचान सेना की 14 सिंध हार्स के लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया व लांस दफादार नायक दलजीत सिंह के रूप में हुई है। वहीं हादसे में घायल हुए अधिकारियों की पहचान मेजर मयंक शुभम, मेजर अमित दीक्षित व कैप्टन गौरव के रूप में हुई है। यह हादसा उस



समय हुआ जब सेना की कान्वाय के साथ जा रहा सेना का एक स्कार्पियो वाहन पहाड़ी से गिरी एक चट्टान की चपेट में आ गया। यह हादसा बुधवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे के करीब पूर्वी लद्दाख के दुरबुक के पास हुआ। सेना के वाहनों का काफिला चोंगताश जा रहा था। सेना के स्कार्पियो वाहन का अगला हिस्सा चट्टान गिरने के कारण पूरी तरह से दब गया था। सेना के जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन से भूखलन के दौरान पत्थर, मलबा हटाकर वाहन में सवार सभी सैन्य कर्मियों को बाहर निकाला। इस हादसे में दो सैन्य कर्मियों बलिदान हो गए। वहीं घायल हुए सैनिकों को बेहतर इलाके के लिए लेह के 153 अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है।

निठारी हत्याकांड यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने किया हत्याकांड के आरोपियों को बरी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ दायर 14 अपीलों को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में कोई विकृति नहीं थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि खुले नाले से पीड़ितों की खोपड़ियां और अन्य सामान बरामद करना पुलिस के समक्ष कोली के बयान के बाद नहीं किया गया था।

पीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों का बयान दर्ज किए बिना की गई कोई भी बरामदगी साक्ष्य कानून के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने कहा कि केवल उन्हीं बरामदियों



» इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कोली को बरी करने के फैसले को दी थी चुनौती

» कोली पर पड़ोस के लोगों, बच्चों, के साथ बलात्कार और हत्या का था आरोप

को, जो केवल अभियुक्तों की पहुँच में हों, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। शीर्ष अदालत पिछले साल

सीबीआई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिकाओं सहित अलग-अलग याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हुई थी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 16 अक्टूबर, 2023 को कोली को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इनमें से एक याचिका पीड़ितों में से एक के पिता द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

मोनिंदर सिंह पट्टे और उसके घरेलू सहायक कोली पर उत्तर प्रदेश के निठारी में अपने पड़ोस के लोगों, खासकर बच्चों, के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप था। कोली को 28 सितंबर, 2010 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने पट्टे और कोली को मौत की सजा के मामले में बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष उनके अपराध को सदेह से परे साबित करने में विफल रहा और इसे एक असफल जांच बताया।